राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : 249 दिनांक : 30-3-12

शाखा प्रबन्धक,

(प/ओ.स. 248/30.3.12 ... अनुभाग)

....

विषय :– **वर्ष 2012 में मण्डल द्वारा राजस्थान के विभिन्न शहरों/कस्बों में नये पंजीकरण योजना के आवेदकों से आवेदन पत्र जमा करने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के क्रम में।**

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न शहरों व कस्बों में नई पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु संबंधित शहरों/कस्बों में आवेदकों से आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने का कार्य बैंक निम्न शर्तो पर करवाया जाना है :–

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित जमा करने होगें।
3. अन्तिम तिथि के सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साफ्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौपनी होगी।
4. बैंक को 4 दिवस में सभी ड्राफ्टों को संबंधित मण्डल कार्यालय का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्रतिदिन प्राप्त राशि की सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी सूची की दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यो का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2012 में विभिन्न शहरों/कस्बों में संभावित नई पंजीकरण योजनाओं का विवरण संलग्न कर लेख है कि इच्छुक बैंक उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने का सहमति पत्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को दिनांक 04.04.2012 तक प्रस्तुत करें। उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य शर्त जोड़े जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

भवदीय

वित्तीय सलाहकार

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज. आवा. मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
7. निदेशक (विधि)/अति. मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्त...................... राज. आवा. मण्डल ....
9. समस्त आवासीय अभियन्ता .... राज. आवा. मण्डल ....
10. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार